भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1146
13 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों के लिए सिंचाई प्रणाली

1146. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले':

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश के किसानों के लिए समुचित सिंचाई प्रणाली प्रदान करना है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के प्राथमिकता के आधार पर नलकूपों पर अधिकतम राजसहायता देकर लगवाने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) भारत सरकार सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेतों में जल की वास्तविक पहुंच बढ़ाने और कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने तथा सतत जल संरक्षण पद्धतियां शुरू करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) क्रियान्वित कर रही है। पीएमकेएसवाई के घटक निम्नानुसार हैं:

(i) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी): इन घटकों का कार्यान्वयन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) द्वारा किया जा रहा है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, प्राथमिकता प्राप्त 99 एआईबीपी परियोजनाएं, जिनमें उनकी कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यकलाप हैं, मिशन मोड पर शुरू की गई हैं।

(ii) पनधारा विकास घटक: भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) पनधारा विकास का क्रियान्वयन कर रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई गतिविधियों में रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी लाइन उपचार, मृदा और नमी संरक्षण, जल संचयन संरचना, आजीविका सहायता कार्यकलाप और पनधारा संबंधित अन्य कार्य शामिल हैं।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना क्रियान्वित कर रहा है जो सूक्ष्म सिंचाई अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है।

(ख) से (घ) भूजल सिंचाई पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी-भूजल (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू) के उप-घटकों में से एक है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए सुनिश्चित भूजल सिंचाई के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना केवल उन क्षेत्रों में लागू है जहां भूजल विकास का चरण 60% से कम है, औसत वर्षा 750 मिमी से अधिक है और उथले भूजल स्तर हैं। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर की रिपोर्ट के अनुसार, अनुमोदित प्रावधानों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र किसानों को राजसहायता संवितरित करने के लिए सिंचाई कुओं के निर्माण हेतु पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की चालू स्कीम को सहायता देने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। कुल परियोजना लागत 46.36 करोड़ रुपये है, जिसमें से केंद्रीय सहायता 27.82 करोड़ रुपये हैं। मार्च, 2020 के दौरान, परियोजना के तहत राज्य को 16.69 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। अब तक 14288 कुओं का निर्माण किया गया है जिससे 14784 किसान लाभान्वित हुए हैं और सिंचाई के लिए 27311 हेक्टेयर कमान क्षेत्र सृजित किए गए हैं।

****